



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-21102024-258104
CG-GJ-E-21102024-258104

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 822]
No. 822]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 17, 2024/ आश्विन 25, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 2024/ASVINA 25, 1946

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 14 अक्टूबर, 2024

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) (संशोधन) विनियम, 2024

फा. सं. आईएफएससीए/जीएन/2024/008.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और 13 के साथ धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) विनियम, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:-

- इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा;
- ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियमन 5 के उप-विनियम (9) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा -

“आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियमन, 2018 के विनियमन 5 के उप-विनियम (2) के खंड (क) के उप-खंड (ख) के अधीन निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में डीटीए में बनाए रखे गए प्रीमियम का निवेश करने वाला आईआईओ इन विनियमों के विनियमन 9ख के अनुसार ही निवेश करेगा।”

3. विनियमन 9 के अधीन मैट्रिक्स-1 के नोट:6 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा - “यूनिट लिंकड बीमा उत्पाद (यूएलआईपी) के लिए, इन विनियमों के विनियमन 9क में निर्दिष्ट निवेश के पैटर्न का पालन किया जाएगा”।

4. विनियमन 9 के पश्चात निम्नलिखित को संनिविष्ट किया जाएगा -

“9क यूनिट लिंकड बीमा उत्पाद -

- (1) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 10 (2कक) और 27 तथा इन विनियमों के किसी भी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक आईआईओ पॉलिसीधारकों द्वारा सब्सक्राइब किए गए निवेश के पैटर्न के अनुसार यूनिट लिंकड व्यावसायिक परिसंपत्तियों, जो विपणन योग्य और आसानी से प्राप्त करने योग्य भी हैं और जहां यूनिट्स ऐसी परिसंपत्तियों की श्रेणियों से जुड़ी हैं, में निधि का निवेश करेगा और हमेशा इसे निवेशित रखेगा।
- (2) व्यक्तिगत पृथक निधि के स्तर पर एंटीटी, समूह और उद्योग में यूनिट लिंकड व्यवसाय परिसंपत्तियों के निवेश के लिए एक्सपोजर की निम्नलिखित सीमाएं लागू होंगी।

मैट्रिक्स 1क: यूनिट लिंकड व्यावसायिक परिसंपत्तियों के निवेश के लिए इक्विटी, समूह और उद्योग के लिए निवेश परिसंपत्ति एक्सपोजर मैट्रिक्स		
क्र. सं.	बीमाकर्ता द्वारा समग्र जोखिम	कुल यूनिट लिंकड व्यावसायिक परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में बीमाकर्ता द्वारा अधिकतम निवेश
क)	एकल एंटीटी (निवेशक)	10
ख)	आईआईओ के अपने समूह के भीतर	5
ग)	किसी अन्य एकल समूह को	15
घ)	किसी विशेष औद्योगिक क्षेत्र को	15

बशर्ते कि निष्क्रिय रूप से प्रबंधित/सूचकांक-आधारित म्यूचुअल निधि और एक्सचेंज ट्रेडेड निधि (ईटीएफ) में निवेश के मामले में, ऊपर क्रमांक (क), (ग) और (घ) में उल्लिखित जोखिम मानदंड केवल निम्नलिखित के पश्चात लागू होंगे -

- (i) व्यक्तिगत पृथक यूनिट लिंकड निधि के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन (3) वर्ष; या
- (ii) जब किसी व्यक्तिगत पृथक यूनिट लिंकड निधि के प्रबंधन के अधीन संपत्ति पच्चीस (25) मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर या उससे अधिक हो जाएगी,

जो भी पहले हो।

5. विनियमन 9क के पश्चात, निम्नलिखित को संनिविष्ट किया जाएगा -

“9ख निवेश का स्वीकार्य पैटर्न -

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियमन 5 के उप-विनियम (2), खंड (क) में निर्दिष्ट श्रेणी के अनुसार डीटीए में आईआईओ का निवेश निम्नलिखित मैट्रिक्स के अनुसार होगा:

मैट्रिक्स 1ख: कुछ आईआईओ के लिए निवेश परिसंपत्ति एक्सपोजर पैटर्न मैट्रिक्स		
क्र. सं.	निवेश परिसंपत्ति का प्रकार	अधिकतम एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत)
1	भारत की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	10
2	कारपोरेट बॉन्ड	15
3	सेबी द्वारा अनुमोदित वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) - श्रेणी 1 और 2	10
4	भू-संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) सहित अचल संपत्ति	5
5	अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) सहित बुनियादी ढांचा और बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए साधन	5
6	अल्प अवधि के लिए मुद्रा बाजार साधन	90
7	'इक्विटी', वरीयता शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश	25
8	ऋण में निवेश (वाणिज्यिक पत्र सहित)	90
<p>नोट 1: "निवेशित" का अर्थ होगा 'निवेश किया गया और निवेशित रखा गया।</p> <p>नोट 2: ऊपर उल्लिखित अधिकतम जोखिम सीमाओं के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्दिष्ट मौजूदा सीमाएं लागू रहेंगी।</p>		

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/ असा. /591/2024-25]

नोट: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) विनियम, 2022 को भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी030 द्वारा 13 जनवरी, 2023 को प्रकाशित किया गया और इन विनियमों में पहला संशोधन भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2023-24/जीएन/आरईजी042 द्वारा 27 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित किया गया।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 14th October, 2024

International Financial Services Centres Authority (Investment by International Financial Services Centre Insurance Office) (Amendment) Regulations, 2024

F. No. IFSCA/GN/2024/008.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with Section 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations to amend the International Financial Services Centres Authority (Investment by International Financial Services Centre Insurance Office) Regulations, 2022 namely:-

1. Short title and commencement:-

(1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Investment by International Financial Services Centre Insurance Office) (Amendment) Regulations, 2024;

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Sub-regulation (9) of regulation 5 shall be substituted as follows –

“An IIO investing its retained premium in DTA in adherence with the condition specified under sub-clause (b) of clause (A) of sub-regulation (2) of regulation 5 of the IRDAI (Re-insurance) Regulation, 2018, shall invest only in accordance with regulation 9B of these regulations.”

3. **Note:6** of Matrix-1 under regulation 9 shall be substituted by the following – *“For Unit Linked Insurance Products (ULIP), the pattern of investments as specified in regulation 9A of these regulations shall be followed”*.

4. After regulation 9, following shall be inserted –

“9A Unit Linked Insurance Products –

(1) *Without prejudice to sections 10 (2AA) and 27 of the Insurance Act, 1938 and any provisions of these regulations, every IIO shall invest and at all times keep invested its funds of unit linked business as per pattern of investment subscribed by the policyholders, where the units are linked to categories of assets which are both marketable and readily realizable.*

(2) *The following limits of exposure shall be applicable for investment of unit linked business assets in entities, group and industry at the level of individual segregated fund.*

Matrix 1A : Investment Asset Exposure Matrix to Equity, Group and Industry for investment of unit linked business assets		
Sr. No.	Overall Exposure by an insurer	Maximum Investment by an insurer as a per centage of the total unit linked business assets
a)	<i>A Single Entity (Investee)</i>	10
b)	<i>Within the IIO's Own Group</i>	5
c)	<i>To any other single Group</i>	15
d)	<i>To a particular Industrial Sector</i>	15

Provided that in case of investments in passively managed / index-based Mutual Funds and Exchange Traded Funds (ETFs), exposure norms mentioned at sr. no. (a), (c) and (d) above, shall apply only after –

(i) *three (3) years from the date of launch of individual segregated unit linked fund; or*

(ii) *the Assets Under Management of an individual segregated unit linked fund becomes equal to or more than twenty-five (25) Million USD,*

whichever is earlier.”

5. After regulation 9A, following shall be inserted –

“9B Admissible pattern of investment –

The investments by an IIO in DTA as per category specified in sub-regulation (2), clause (A) of Regulation 5 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) Regulations, 2018 shall be in accordance with the following matrix:

Matrix 1B: Investment Asset Exposure Pattern Matrix for certain IIOs		
Sr. No.	Type of Investment Asset	Maximum Exposure Limits (per cent.)
1	Securities of Central Government of India	10
2	Corporate Bonds	15
3	SEBI approved Alternative Investment Funds (AIF) - Category 1 and 2	10
4	Immovable Property including Real Estate Investment Trusts (REITs)	5
5	Infrastructure including Infrastructure Investment Trusts (InvIT) and instruments for financing Infrastructure Assets	5
6	Money markets instruments for short period	90
7	Investment in 'Equity', Preference Shares, Convertible Debentures	25
8	Investment in Debt (incl. Commercial Papers)	90
<p>Note 1: 'Invested' would mean 'Invested and kept invested'.</p> <p>Note 2: Notwithstanding the maximum exposure limits mentioned herein above, the extant limits as specified by the Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board India, as the case may be, shall prevail."</p>		

K. RAJARAMAN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./591/2024-25]

Note: The International Financial Services Centres Authority (Investment by International Financial Services Centre Insurance Office) Regulations, 2022 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2022-23/GN/REG030 on 13th January, 2023 and first amendment to these regulations were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2023-24/GN/REG042 on 27th October, 2023.